संख्याः 2590/पैंतीस–2–2011–3/16(29)/09

प्रेषक,

पी0एन0 सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ ।

नियोजन अनुभाग–2

लखनऊः दिनांक 18 नवम्बर, 2011

विषय– **तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति/पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 994/ले0–33/2011 दिनांक 26.09.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तेरहवे वित्त आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार की उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति एवं केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित योजना (प्रति संलग्न) के कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 40, लेखाशीर्षक– "3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय– आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या निदेशालय" की मद–16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में प्रावधानित रू0 1,40,00,000/– व मद–42–अन्य व्यय मे प्रावधानित रू0 12,60,00,000/– अर्थात कुल रू0 14,00,00,000/–की धनराशि को निम्नानुसार पुर्नवांटित करते हुए व्यय करने के प्रयोजनार्थ उसे निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते है।

2. उपर्युक्त योजना के निर्धारित स्वरूप के अनुरूप उसके क्रियान्वयन के हित में अनुदान संख्या–40, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय– आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत मद–42–अन्य व्यय में प्रावधानित धनराशि रू0 12,60,00,000/– में से रू0 11,83,00,000/– को संलग्न पुनर्विनियोग प्रस्ताव के अनुसार उक्त लेखाशीर्षक की निम्न मदों में पुर्नविनियोजित करने की स्वीकृति भी एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

कोड सं0	मद	धनराशि (रू0 में)
11	लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	41,00,000/–
12	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2,20,00,000/–
13	टेलीफोन पर व्यय	10,00,000/–
15	मोटर गाड़ियों का अनुरक्षण/पेट्रोल की खरीद	46,00,000/–
16	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2,65,00,000/–
44	प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय/अन्य प्रासंगिक व्यय	1,45,00,000/–
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4,56,00,000/–
	योग	11,83,00,000/–

3. यह स्वीकृति वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–901/दस–2011–231/2011 दिनांक 21.03.2011 में उल्लिखित शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान की गयी है, जिनका कड़ाई से पालन किया जाए।

4. उक्त स्वीकृति धनराशि का व्यय निर्धारित मदों के समक्ष अंकित धनराशि तक ही सीमित रखा जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। अतः व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने के पूर्व प्रत्येक दशा में शासन/सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

5. वस्तुओं के क्रय करते समय उत्तर प्रदेश स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय–समय पर प्रसारित तद्विषयक आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आहरण कोषागार से तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

7. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मिव्ययिता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं शासनादेश संख्याः सी0ए0–1004/दस–2003–सं0वि0मि0–1/2003 दिनांक 11 अगस्त, 2003 का विशेष रूप से पालन किया जाय ताकि अपव्यय को रोका जा सके।

8. तत्संबंधी व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–40 के लेखाशीर्षक–"3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांयिख्यकीय–02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकीय–आयोजनेत्तर–001–निदेशन एवं प्रशासन–03–अर्थ एवं संख्या निदेशालय" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

9. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय महालेखाकार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2012 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन–2 को प्रेषित किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः 1144/X/2011 दिनांक 16.11. 2011 की सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0एन0सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 3570 (1)/35–2–2011–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम व द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार लेखा परीक्षा, सत्यनिष्ठ भवन, 15 थर्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एन0सिंह)
संयुक्त सचिव।

जी०आई०-26

पत्र सं0 एफ0सी0– /दस–2011–28/2010

प्रेषक,

आर0 के0 वर्मा,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नियोजन,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग लखनऊ, दिनांक 5 सितम्बर, 2011

विषयः– **तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु संस्तुत अनुदान की प्रथम किस्त की अवमुक्ति सूचना ।**

महोदय,

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु संस्तुत अनुदान की प्रथम किस्त रू0 14.00 करोड़, वर्ष 2011–12 में अवमुक्त किये जाने की सूचना (छायाप्रति संलग्न) उपलब्ध करायी गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अवमुक्त धनराशि का उपयोग तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित मदों तथा भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें ।

संलग्नक–यथोक्त ।

भवदीय,

(आर0 के0 वर्मा,)
विशेष सचिव, वित्त,

जी०आई०-26

संख्या एफ0सी0– (1)/दस–2011–28/2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– विशेष सचिव, वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5 को उपरोक्त की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(आर0 के0 वर्मा,)
विशेष सचिव, वित्त,

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन
(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या–40, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान,उत्तर प्रदेश वित्तीय वर्ष: 2011–2012 (धनराशि हजार रूपयों में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन–पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग (2–5)
1	2	3	4	5	6
3454–02–001–03–00–42	126000	118300	118300	118300	7700
योग	126000	118300	118300	118300	7700

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9–8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
3454–02–001–03–00–11	2300	6400	4100	4100	6400
3454–02–001–03–00–12	1800	23800	22000	22000	23800
3454–02–001–03–00–13	1000	2000	1000	1000	2000
3454–02–001–03–00–15	4000	8600	4600	4600	8600
3454–02–001–03–00–16	14200	40700	26500	26500	40700
3454–02–001–03–00–44	800	15300	14500	14500	15300
3454–02–001–03–00–46	1000	46600	45600	45600	46600
योग	25100	143400	118300	118300	143400

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:–
तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के कियान्वयन हेतु शासन स्तर पर सुरक्षित।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:–
तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों में धनराशि की आवश्यकता होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों / परिसीमाओं का उल्लंधन नहीं होता है।

संख्याः आरई. 178 ,दिनांक 16/11/2011

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर.........
नाम व पद नाम–
प्रशासकीय विभाग–

हस्ताक्षर..................
नाम व पद नाम– निज़ामुद्दीन रिज़वी अनुसचिव
वित्त विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।